संख्याः–शिक्षा–एच(21)ए(1)पी.एस–16/2017–सामान्य निर्देश
शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर)
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला–171001 फरवरी, 2019

20 FEB 2019

सेवा में

समस्त जिला उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– स्कूली बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपका सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के घ्यान में आया है कि आये दिन कहीं न कहीं स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। स्कूली बच्चो की सुरक्षा के सन्बन्ध में देश के सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश के उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशो की अनुपालना अपरिहार्य है। बच्चों को वाहनो में ठूंस–ठूंस कर भरने की प्रवृति, यातायात नियमो को ताक पर रखकर वाहनो का चलाना और वाहनो का नियमों के अनुकूल न होना तथा बसों में अनुभवी चालक न होना सब किसी न किसी दुर्घटना का कारण है। अतः आपको आदेश दिये जाते है कि आप समस्त निजी स्कूलो के प्रधानाचार्यो/मुख्याध्यापको को स्कूल लाने व ले जाने वाले वाहनो में overloading न करने तथा यातायात नियमो का पालन करने, स्कूल बसों में योग्य चालक नियुक्त करने तथा इस निदेशालय के पत्र संख्याः EDN-H(21)A(1)PS-13/2017 दिनांक 08.01.2019 के अन्तर्गत प्रसारित/संचारित अधिसूचना के कार्यान्वियन करने के निर्देश जारी करे तथा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करे।

सं0 शिक्षा निदेशक उच्चतर (महावि0)
हिमाचल प्रदेश।

Endst. No: - EDN-U (G-II R) Pvt. School/ 2018/-
Office of the Deputy Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).
Dated Una March, 2019

Forwarded in original all the Principals/ Headmasters Private Senior Secondary / High Schools in Una District for information and strict compliance. With immediate effect the school authorities with be personally held responsible for any such activity, if found in the later stage.

Deputy Director of Higher Education,
Una Distt. Una (HP).